

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्रामीण कार्य मामले)


पत्रांक : -05(नि0-8)-168/18 ग्रा0का0वि0 793 राँची, दिनांक 8/3/18
प्रेस विज्ञप्ति

उपायुक्त, कोडरमा के ज्ञापांक-116 एवं 117, दिनांक-08.02.18 द्वारा सूचित है कार्य प्रमण्डल, कोडरमा के चंदवारा प्रखण्ड अंतर्गत (1) पी0डब्लू0डी0 रोड (FCI) गोदाम से चौराही मोड़ तक (2) पुत्तो आर0ई0ओ0 पथ से दुरगुनिया भाया महादेव धाम तक पथ निर्माण कार्य का निष्पादन प्राक्कलन में निहित प्रावधान के अनुरूप नहीं किया गया है।

अतः झारखण्ड संवेदक निबंधन नियमावली, 2008 (पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या-5851(एस0), दिनांक 10.09.2008 द्वारा निर्गत एवं ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा अंगीकृत) की कंडिका 10 की उपकंडिका 10.01.08 में निहित प्रावधान एकरारनामा एवं विहित विनिर्देश के अनुसार कार्य निष्पादन में चूक करने के आलोक में निम्न संवेदकों को डिबार सूची में डाला जाता है :-

क्र0सं0	संवेदक का नाम एवं पता	योजना का नाम
1	गौतम कुमार वर्णवाल, कोडरमा	पी0डब्लू0डी0 रोड (FCI) गोदाम से चौराही मोड़ तक पथ निर्माण।
2	श्री गिरधारी, कोडरमा	पुत्तो आर0ई0ओ0 पथ से दुरगुनिया भाया महादेव धाम तक


विश्वासभाजन


(अखिलेश कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

राँची, दिनांक 8/3/18

ज्ञापांक: -05(नि0-8)-168/18 ग्रा0का0वि0 793
प्रतिलिपि:- निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची को राज्य के मुख्य हिन्दी/अंग्रेजी समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।